उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-18/2017/357/92-1-2017-95आरईएस/2006
लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी, 2017

**कार्यालय-ज्ञाप**

कार्यालय-ज्ञाप सं0-79/2016/4124/92-1-2016-95आरईएस/2006 दिनांक 19 दिसम्बर 2016 द्वारा श्री औसाफुर्रहमान खॉ, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अधीक्षण अभियंता के पद पर बन्द लिफाफे के प्रति सुरक्षित रखे गये पद के सापेक्ष स्थानापन्न रूप से पदोन्नति प्रदान की गयी थी। विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष श्री औसाफुर्रहमान खॉ, स्थानापन्न अधीक्षण अभियंता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वेतनमान रू0-37400-67000, ग्रेड पे-8700/- (वेतन बैण्ड-4) के पद पर मौलिक रूप से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री औसाफुर्रहमान खॉ को अनुमन्य वेतन/महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते शासन द्वारा समय- समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार देय होंगे।

3- उक्त पदोन्नति, मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0- 31120/2016 राशिमणि मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।

4- अधीक्षण अभियन्ता के पद पर मौलिक पदोन्नति के फलस्वरूप श्री औसाफुर्रहमान खॉ अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-18/2017/357(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / कोषाधिकारी ।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
5- मुख्य अभियंता (पूर्व/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग - 2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in